कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

<u>भवन निर्माण अनुज्ञा–पत्र</u>

पत्रांक :–3571/बु0वि0प्रा0/2013 दिनांक 09.05.13

सेवा में

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा राजे बाबू मार्ग पर स्थित खेवट नं0 213, खाता संख्या 406, राज्य सम्पत्ति जिला बोर्ड, बुलन्दशहर की 6271.084 वर्ग मी0 (नैट) भूमि पर प्रस्तावित मानचित्र संख्या 40/2013 पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निस्तारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 02.05.13 को करने के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :–

1. मानचित्र स्वीकृति पांच वर्ष तक वैध है। समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।
2. भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग/भू–अर्जन/नूजल/ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. निर्माण करते समय सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
5. स्वीकृत मानचित्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तों तथा नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा, ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय जांच की जा सके।
7. स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
8. भवन निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के उपरांत सम्पूर्ति प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
9. पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।
10. यदि भविष्य में विकास/सुधार व्यय मांगा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा, जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य हेतु उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा स्थानीय निकाय की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानकों का पालन करना होगा।
12. स्वीकृत मानचित्र के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का विचलन, परिवर्तन/परिवर्धन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
13. पार्कों तथा खुले स्थान में मानकों के अनुसार ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे–भरे रह सकें।
14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का पालन करना होगा। उल्लंघन की दशा में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
15. आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।
16. बेसमेंट से जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी।

इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं0 1 से 16 तक अंकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता

कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर
यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

भवन निर्माण अनुज्ञा–पत्र

पत्रांक :– 997/ बु0वि0प्रा0 / 2013

सेवा में, दिनांक 09-05-13

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा राजे बाबू मार्ग पर स्थित खेवट नं0 213, खाता संख्या 408, राज्य सम्पत्ति जिला बोर्ड, बुलन्दशहर की 6271.084 वर्ग मी0 (नैट) भूमि पर प्रस्तावित मानचित्र संख्या 40/2013 पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निस्तारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 02.05.13 को करने के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :–

1. मानचित्र स्वीकृति पांच वर्ष तक वैध है। समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।
2. भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग/भू–अर्जन/नूजल/ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. निर्माण करते समय सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
5. स्वीकृत मानचित्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तों तथा नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा, ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय जांच की जा सके।
7. स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
8. भवन निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के उपरांत सम्पूर्ति प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
9. पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।
10. यदि भविष्य में विकास/सुधार व्यय मांगा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा, जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य हेतु उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा स्थानीय निकाय की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानकों का पालन करना होगा।
12. स्वीकृत मानचित्र के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का विचलन, परिवर्तन/परिवर्धन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
13. पार्कों तथा खुले स्थान में मानकों के अनुसार ऐसे पेड पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे–भरे रह सके।
14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का पालन करना होगा। उल्लंघन की दशा में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
15. आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।
16. वेसमेंट से जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी।

इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं0 1 से 16 तक अंकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता